राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक–न्याय/2018/ 7088

दिनांकः 30.10.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /18/34276–77 दिनांक 27.10.2018 से पुलिस थाना सुनेल के अभियोग सं0 150/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त मनोहर सिंह पिता रामलाल जाति धाकड उम्र 45 साल निवासी पाउखेडी थाना सुनेल के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.08.18 को श्री विजय कुमार हैड कानि0 मय जाप्ता गश्त इलाका व अवैध कार्यो की चेकिग करते हुए बस स्टेण्ड सलोतिया रोड होता हुआ पाटन रोड पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर मुखबिर खास ने सूचना दी कि एक व्यक्ति रीछड नदी की पुलिया के पास खडा है, जिसके पास अवैध सामान हो सकता है। सांकेतिक स्थान पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पुलिया के पास खडा नजर आया जो पुलिस जाप्ते को देखकर भागने लगा, जिसको जाप्ते की मदद से पकडा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनोहर सिंह पिता रामलाल जाति धाकड उम्र 45 साल निवासी पाउखेडी थाना सुनेल जिला झालावाड बताया। तलाशी लेने पर एक पिस्टल लोहा मय दो कारतूस मैगजीन लोड के मिले। जिसके अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो अनुज्ञापत्र नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 150/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । उक्त एक पिस्टल लोहा व दो कारतूस का आरमोर्रर द्वारा मेकेनिक मुआयना करवाया गया। आरमोर्रर ने बताया कि देशी पिस्टल 7.65 एमएम लोहे का बना हुआ है, मैगजीन फिट है, मौजूदा समय मे इसका फंक्शन मेक्निजम जंग के कारण जाम होने के कारण यह फायर करने योग्य नही है किंतु बाद सर्विस यह फायर करने योग्य हो सकता है। उक्त पिस्टल फायर आर्म्स की जद मे आता है तथा 2 कारतूस जिंदा अवस्था मे है, जो एम्युनेशन की परिभाषा मे आते है। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामसिंह एचसी 113 व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा एंव 5 कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययने किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट. तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त मनोहर सिंह पिता रामलाल जाति धाकड उम्र 45 साल निवासी पाउखेडी थाना सुनेल के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती